राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांकःएफ2(218)/DOIT&C/2023/ML-4349/2024 जयपुर, दिनांकः 13/02/2

कार्यालय आदेश

स्व.श्री विजय प्रकाश माथुर,(प्रोग्रामर) जिला कार्यालय,सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, कोटा राज्य सेवा में रहते हुऐ दिनांक 10.06.2023 को निधन हो गया था। इनकी पुत्री **सुश्री यती माथुर (GEN)** को अनुकम्पात्मक नियुक्ति दिये जाने हेतु उक्त पत्र/ आवेदन पत्र जिला कार्यालय,सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, कोटा के पत्र कमांक DOITC/KOTA/55/ESTT/2023/725 दिनांक 08.09.2023 के द्वारा इस विभाग को दिनांक 12.09.2023 को प्राप्त हुआ है। अतः सुश्री यती माथुर को राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों के अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के अन्तर्गत **कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर (राज.)** में राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम, 1999 के प्रावधानुसार कनिष्ठ सहायक (लिपिक ग्रेड-II) के पद पर कार्यभार सम्भालनें की तिथि से दो वर्ष के लिए परिविक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Fixed remuneration to probationer trainees) के रूप में नियुक्त/पदस्थापित किया जाता है।

सुश्री यती माथुर को वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ15(1)एफडी(रूल्स)/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसरण मे पुनरीक्षित वेतनमान (संशोधित) नियम 2017 कें परिपत्र एफ14(1)एफडी(रुल्स)/2017 दिनांक 09.12.2017 के अन्तर्गत Schedule IV (Rule No.16) **नियत पारिश्रमिक (Fixed remuneration) रूपये 14600/- प्रति** माह की दर से देय होगें। इसके अतिरिक्त उक्त परिवीक्षा अवधि में अन्य भत्ते तथा मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होगें। परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होगें। दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही इन्हें कनिष्ठ सहायक (लिपिक ग्रेड-II) को Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules,2017 के अनुसार नियमित वेतन श्रृंखला पे मैट्रिक्स Level-5 (First cell) (पूर्व वेतनमान के अनुसार वेतन श्रृंखला (पी.बी-1) 5200-20200 (ग्रेड पे न. 9) ग्रेड पे. 2400) का न्यूनतम वेतनमान **20800/-** रूपये निर्धारित किया गया है एवं अन्य नियमानुसार भत्ते देय होगें।

कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.5(51)डीओपी/ए-II/88 पार्ट दिनांक 21.09.2010 एंव कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना कमांक प.3(1)कार्मिक/क-2/2013 दिनांक 04.05.2017 के निर्देशानुसार 1 वर्ष के स्थान पर परिवीक्षाकाल में अर्थात 02 वर्ष में कम्प्यूटर कोर्स उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा तथा कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना कमांक एफ7(2) डीओपी/ ए-II/2006 दिनांक 05.07.2010 में अंकित संस्थानों से ही उक्त अर्हता अर्जित करना आवश्यक है ।

कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना कमांक प. 3(1) कार्मिक /क-2/ 2013 पार्ट दिनांक 28.05.2018 के द्वारा राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के नियम-9 के अन्तर्गत नियुक्ति के पश्चात् तीन वर्ष में टंकण परीक्षा (अग्रेजी/हिन्दी) उत्तीर्ण करना आवश्यक है एवं नियमानुसार भाषा विभाग द्वारा टंकण परीक्षा केवल कम्प्यूटर पर ही जिला स्तर पर जिला कलेक्टर द्वारा परीक्षा समिति द्वारा ली जावेगी तथा कम्प्यूटर टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, और ऐसा नही होने पर पर नियुक्ति समाप्त होने के दायित्वाधीन होगी । जब तक वे ऐसी अर्हता अर्जित नही कर लेते है तब तक अनुज्ञेय कोई वार्षिक वेतन वृद्धियां अनुज्ञात नहीं की जायेगी। ऐसी अर्हताए अर्जित करने पर ही नियुक्ति दिनांक से काल्पनिक रूप से वेतनवृद्धियां अनुज्ञात की जायेगी, किन्तु किसी बकाया का संदाय नहीं किया जायेगा।

सुश्री यती माथुर द्वारा प्रस्तुत केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली की अंकतालिका के कम सं.-0057128 के अनुसार इनकी जन्म तिथि 07.11.2002 (सात नवम्बर दो हजार दो) है। यह नियुक्ति निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन होगी :-

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है एवं एक माह के नोटिस पर किसी भी पक्षकार द्वारा समाप्त की जा सकती है।
2. यह नियुक्ति स्वास्थ्य एवं चाल-चलन ठीक प्रमाणित होने की शर्त पर की जा रही है इसके लिए इनको कार्यभार सम्भालनें की दिनांक को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं दो राजपत्रित अधिकारी से प्राप्त चरित्र प्रमाण पत्र (जो कि छः माह से पूर्व के नही हो) प्रस्तुत करने होगें।
3. सुश्री यती माथुर द्वारा राज्य सेवा के दौरान मृतक कर्मचारी के अन्य आश्रितों का उचित तौर पर भरण-पोषण नहीं करने की स्थिति में उनकी यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती हैं।
4. परिवीक्षाकाल में कोई वार्षिक वेतन वृद्धि देय नही होंगी।

लगातार....

5. परिवीक्षाकाल में अवकाश या अन्य सुविधाएं आदि राजस्थान सेवा नियमों के संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे ।
6. दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करनें के उपरांत ही इनका वेतन निर्धारण कनिष्ठ सहायक के पद पर पे मेट्रिक्स लेवल संख्या -5 मे नियमानुसार किया जाकर वेतन एवं उस पर अन्य भत्ते देय होंगे ।
7. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परिवीक्षा अवधि में संतोषप्रद नही पाया गया तो, उन्हे बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा ।
8. कार्यग्रहण करते समय अभ्यर्थी को चरित्र सत्यापन हेतु संलग्न प्रपत्र-ए में शपथ पत्र 50 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल ई स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा ।
9. अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वे नियुक्ति आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस के भीतर आंवटित कार्यालय/विभाग में अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करें।
10. निर्धारित अवधि में कार्यग्रहण नहीं करने तथा कोई सूचना प्राप्त नहीं होने की दशा में नियुक्ति आदेश निरस्त माना जाएगा ।
11. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग-I में आने वाले मामलों को छोड़कर सेवा ग्रहण करने के लिये कोई यात्रा भत्ता संदत्त नही होगा ।
12. अभ्यर्थी को कार्यग्रहण हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
13. सुश्री यती माथुर को कार्यग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fixed Pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी।

(संजय जगदीश कार्णिक)
संयुक्त सचिव एवं कार्यालयध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-
1. निजी सचिव, शासन सचिव/आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग,मुख्यालय, जयपुर ।
2. कार्यालयाध्यक्ष, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
3. तकनीकी निदेशक, जिला कार्यालय,सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, कोटा।
4. एसीपी (उपनिदेशक)/प्रोग्रामर, पदौन्नति शाखा, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
5. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
6. आहरण/वितरण अधिकारी, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
7. प्रशासनिक अधिकारी, (स्थानान्तरण/पदस्थापन शाखा) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय,जयपुर।
8. सुश्री यती माथुर पुत्री स्व.श्री विजय प्रकाश माथुर,(प्रोग्रामर) निवासीः मकान संख्या 100, सहारा ऐनक्लेव, थेकडा रोड, बोरखेडा, कोटा राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि आप मूल दस्तावेज एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के साथ कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर (राज.) में उपस्थित होने का श्रम करें रजिस्टर्ड डाक द्वारा ।
9. लेखा शाखा मय अतिरिक्त प्रति. सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग,जयपुर।
10. निजी/रक्षित पत्रावली।

संस्थापन अधिकारी